न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2912–दो / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–01–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण कमांक 382 / निगरानी / 09–10.

———

श्रीमती सरिता पटेल पत्नी इन्द्रलाल पटेल
निवासी ग्राम– डिहुली तहसील –चुरहट
जिला– सीधी म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– वंशबहोर पुत्र केमला प्रसाद
निवासी ग्राम– डिहुली तहसील चुरहट,
जिला सीधी

2– शासन म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह,

———

:: आदेश ::
(आज दिनांक 10-09-14 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 382 / निगरानी / 09–10 में पारित आदेश दिनांक 30–01–13 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पेश किया गया जिसमें तहसीलदार ने दिनांक 11–9–06 को आदेश पारित किया । तहसील के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे वापिस लिया गया और बाद में अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो उन्होंने 24–4–08 द्वारा स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में नियत दिनांक को दोनों पक्षों को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उभयपक्षों द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नक्शा तरमीम के संबंध में है । प्रकरण में एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जो वापिस ली गई । बाद में तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर जिलाध्यक्ष के न्यायालय में निगरानी की गई जिसमें अपर जिलाध्यक्ष ने सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह माना कि तरमीम के समय पड़ोसी काश्तकार उपलब्ध नहीं तथा अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण उन्होंने पुनरीक्षण को विचारार्थ स्वीकार किया था । आवेदिका द्वारा इसके उपरांत ग्राह्यता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई और समयसीमा के बिंदु पर जबाव हेतु प्रकरण नियत होने पर प्रकरण में आदेश पारित किया । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष विधिसम्मत है कि नक्शा तरमीम के संबंध में कार्यवाही के विरूद्ध पक्षकार को सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने उनके समक्ष की गई निगरानी को निरस्त करते हुए अपर जिलाध्यक्ष के आदेश को स्थिर रखा है । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर